(42)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

II/ निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/1423

श्री विनोद श्रीवास्तव ... आज दि. 26-2-018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9-3-18 नियत।
26-2-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रामप्रसाद पुत्र बहाली , आयु 65 साल, जाति रावत निवासी ग्राम टाटूपुरा कैमाराखुर्द तहसील सबलगढ जिला मुरैना म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर
मुरैना जिला मुरैना

.... अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता</u>

न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 490/ 2017- 18 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मोजा कैमाराखुर्द तहसील सबलगढ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 557 रकवा 0.93 हे. शासकीय स्कूल फील्ड की भूमि दर्ज होना बताया है । मौजा पटवारी द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट अधीनस्थ तहसील न्यायालय मे प्रस्तुत की गई जिस पर से अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 3.10.2017 को प्रकरण दर्ज कर आवेदक तथा अनावेदक को नोअिस जारी करने का आदेश दिया और तत्पश्चात नोटिस जारी किया जाना रिकार्ड में दर्शाया गया किन्तु उक्त नोटिस का आवेदक पर निर्तहन

महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति...
पृष्ठ क्र....
दिनांक 26/2/18
हस्ताक्षर व नाम...

पक्षकार बनने का
आवेदन प्रस्तुत की रसीद/सूचना
अधि० द्वारा

-2-

XXX1X(a)-BR(H)-11

(13)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1423-II/18 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-2-19	आवेदक अधि० श्री विनोद श्रीवास्तव उप०। अना० शासन। रिकार्ड प्राप्त। प्रकरण आदेश हेतु रखें। cf 20-2-19 (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) 20-2-019
20.2.19	(1) आवेदक अधि० श्री विनोद श्रीवास्तव व शासकीय अधि० श्री रा०जी० शर्मा उपस्थित। (2) आवेदक अधि० के द्वारा दिनांक 21/02/19 को तर्क हेतु समय चाहा गया। Cf (हस्ताक्षर) 20/2/19 21.02.19	(हस्ताक्षर) 21.2-019
21.02.19	(1) आवेदक अधि० श्री विनोद श्रीवास्तव को तिथि नोट होने व उनके द्वारा समय चाहने पर प्रकरण आज के लिए नियत किया गया था लेकिन वे आज अनुपस्थित हैं।	

cont.

(13)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(2) अनावेदक शासन की ओर से श्री मुकेश शर्मा अभि. उपस्थित। (3) आवेदक अभि. की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। (4) अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। (3) [signature] 21.2.19	Noted [signature]